Crim - 1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज़ अदालत मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.6.25	वकील सायलान व गैरसायल संख्या 8 उपस्थित। गैरसायल संख्या 1 लगा 6 स्वयं एवं उनके वकील उपस्थित नहीं। इन्हें कई बार आवाज लगाई गई कोई हाजिर जवाब नहीं आया। अतः गैरसायल संख्या 1 लगा 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.25 को पेश हो। [signature] उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	
20.6.25	वकील सायलान एवं गैरसायल संख्या 8 उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायलान ने कथन किया कि मूलवाद ~~बेदखली~~ सुनवाई निषेधाज्ञा का है। अतः प्रार्थना पत्र गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1452/218 से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, गैरसायलान की विवादित आराजी 1453/218 है। और गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी की वह 1452/218 को गैरसायलान को विक्रय कर दे अन्यथा जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। इसलिए गैरसायलान को पाबंद किया जावे। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	गैरसायल ने कभी कोई धमकी सायलान को नहीं दी। सायलान का दावा सव्यय खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी 1452/218 वाके ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर पर उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	